राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 25/2019 अपील

1. कल्याण पिता रामबक्ष माली बनाम निवासी एकलिंगपुरा
2. रामेश्वर पिता रामबक्ष माली निवासी एकलिंगपुरा
3. प्रेम पुत्री रामबक्ष माली निवासी एकलिंगपुरा
4. प्यारी बेवा रामबक्ष माली निवासी एकलिंगपुरा
5. नारायण पिता बरदा माली निवासी एकलिंगपुरा
6. भैरू पिता बरदा माली निवासी एकलिंगपुरा तहसील–बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

1. नंदा पिता तेजू गाडरी निवासी एकलिंगपुरा
2. काना पिता तेजू गाडरी निवासी एकलिंगपुरा
3. भागुता पिता तेजू गाडरी निवासी एकलिंगपुरा
4. दल्लू पुत्री तेजू गाडरी निवासी एकलिंगपुरा
5. सरकार जरिये तहसीलदार बनेडा
6. तुलसीराम पुत्र श्री किशन गाडरी निवासी एकलिंगपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नामान्तरणकरण संख्या 362 तहसीलदार बनेड़ा निर्णय दिनांक 25.03.2019

उपस्थित –

1. श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता – विपक्षीगण संख्या 1 से 4 एवं 6 की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.03.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी सं. 1 से 3 के पिता व अपीलार्थी सं. 4 के पति रामबक्ष व अपीलार्थी सं. 5 व 6 नारायण, भैरू पिता बरदा माली ने तेजू गाड़री से उसकी ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का बरण में स्थित आराजी नं. 442 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 9–5–1997 को

निवेदन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेड़ा द्वारा खोले गये उक्त नामान्तरकरण सं. 362 दिनांक 25–03–2019 वाके ग्राम रूघनाथपुरा पटवार क्षेत्र बरण तहसील–बनेड़ा को निरस्त किया जाये।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 से 04 की ओर से लिखित बहस पेश की गयी। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि विपक्षीगणों ने एसडीओ बनेडा में 159/2011 आधारहीन वाद दायर किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नं 442 के दक्षिणी भाग की 2 बीस्वा भूमि का रास्ता व उसके नीचले 3 बिस्वा भाग को आराजी नं 442 का भाग घोषित करने का निर्णय दिनांक 28.02.2019 को पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध स्टे हेतु निर्धारित अवधि में अपील करने पर एसडीओ द्वारा स्टे नहीं दिया गया और डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बनेडा को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध 11.3.2019 को भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाडा के न्यायालय में अपील सं. 48/2019 पेश की थी। जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति आदेश पारित किया। जिसकी सूचना तुरन्त नायब तहसीलदार बनेडा, गिरदावर व पटवारी को देने पश्चात यह बताया गया कि नामान्तरण निर्णित नहीं होने से स्टे ऑर्डर की नकल की प्रति लेकर प्रस्तुत करें। 27.3.2019 को नकले देने पर ज्ञात हुआ की 25.3.19 को ही डिक्री की पालना में नामान्तरण संख्या 362 खोल दिया गया। जबकि किसी भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना नियमानुसार तभी होती है, जबकि उस डिक्री की क्रियान्विती कराने हेतु कोई इजराय डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत होती है। तब विचारण न्यायालय अपने निर्णय व डिक्री की अपील होने की अवधि दो माह के अवसान के पश्चात् उस डिक्री की पालना हेतु संबंधित तहसीलदार को डिक्री की पालना करने के लिये वारंट जारी करता है। उसके पश्चात् ही तहसीलदार यह जांच करता है कि उस प्राप्त हुई डिक्री की कोई अपील हुई है या नहीं। डिक्री में कहीं भी अंकित नहीं है कि आराजी नं. 442 का रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा अंकित किया जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेडा ने आराजी नं. 442 का रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं 1836/442 का रकबा 5 बिस्वा दर्ज करते हुए उक्त नामान्तकरण निर्णित कर दिया जो गलत व अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। अतः

की गयी। जिसके अपील डिक्री संख्या 5751/2022 जिला भीलवाडा तुलसीराम बनाम कल्याण व अन्य कायम हुये। जिसमें भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय दिनांक 21.09.2022 की पालना को स्थगित फरमा दी गयी हैं, जो निरंतर जारी होकर आगामी पेशी दिनांक 19.03.2025 नियत हैं।

चूंकि उक्त प्रकरण वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार हैं। प्रकरण में उभयपक्षकारान् मान. राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय के निर्णयाधीन होने से, इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में निर्णय किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं।

अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956 अपील खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा